

**उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ****आदेश से प्रथम अपील दोषपूर्ण संख्या- 460/2016**

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी एवं अन्य

..... अपीलार्थी(गण)

बनाम

कुलवंत सिंह

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

:- मुख्य स्थायी अधिवक्ता

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:-

न्यायालय संख्या. - 20

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार

सिविल प्रकीर्ण विलम्ब क्षमायाचना आवेदन संख्या 54154/2016

1. प्रस्तुत आवेदन वर्तमान अपील दायर करने में हुई विलम्ब की क्षमायाचना हेतु है।
2. यह आदेश से प्रथम अपील अपीलकर्ता-राज्य द्वारा अपर जिला जज-तृतीय, लखीमपुर खीरी द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 1/1996 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 12.08.1996 के विरुद्ध दायर की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. कार्यालय द्वारा दी गई आख्या के अनुसार, इस वर्तमान अपील को दायर करने में 19 वर्ष, 6 माह और 7 दिन का विलंब हुआ है।

4. विलंब क्षमा आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र में देरी के लिए दिए गए कारण निम्नवत हैं:

"2- यह कि विद्वान तृतीय अपर जिला जज, लखीमपुर खीरी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 12.08.1996 को चुनौती देते हुए अपीलकर्ताओं द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष सिविल पुनरीक्षण संख्या 66/1997 दायर की गई थी।

3- यह कि उपरोक्त पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान माननीय न्यायालय के संज्ञान में यह लाया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 नियम 1(न) के प्रावधानों के आलोक में आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 12.08.1996 अपील योग्य है, परिणामस्वरूप, इसे निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.07.2015 के माध्यम से पोषणीय न होने के कारण खारिज कर दिया गया था। निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.07.2015 की छायाप्रति इस शपथ पत्र के संलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न की जा रही है।

4- यह कि तत्पश्चात, मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय, लखनऊ द्वारा अपीलकर्ताओं को वर्तमान अपील दायर करने की सलाह दी गई और तदनुसार अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील दायर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के विधि विभाग से अनुमति मांगी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5- यह कि विधि विभाग ने अपने पत्र दिनांक 16.03.2016 के माध्यम से आवश्यक अनुमति प्रदान की थी।

6- यह कि प्रभागीय वनाधिकारी (दक्षिण), खीरी ने अपने पत्र दिनांक 31.03.2016 के माध्यम से मुख्य स्थायी अधिवक्ता से वर्तमान अपील दायर करने का अनुरोध किया एवं उसी के आधार पर वन विभाग के अधिकारियों ने यह अपील दायर करने के लिए 13.04.2016 को मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय से संपर्क किया, परिणामस्वरूप, उसी दिन अर्थात् 13.04.2016 को ही वर्तमान अपील का मसौदा तैयार करने हेतु नत्थी राज्य विधि अधिकारी को आवंटित कर दी गई।

7- यह कि इसके पश्चात अपीलकर्ता के अधिकारियों ने वर्तमान अपील तैयार करने के लिए राज्य विधि अधिकारी से संपर्क किया, जिन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 12.08.1996 की प्रमाणित प्रति लाने की सलाह दी।

8- यह कि निर्णय एवं आदेश दिनांक 12.08.1996 की प्रमाणित प्रति के लिए 02.05.2016 को आवेदन किया गया था और वह अपीलकर्ता को 04.05.2016 को उपलब्ध करा दी गई थी।

9- यह कि विभाग के अधिकारियों ने दिनांक 12.08.1996 के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के उपरांत वर्तमान अपील की तैयारी हेतु राज्य विधि अधिकारी से संपर्क किया तथा तत्पश्चात तत्काल वर्तमान अपील तैयार की गई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10- यह कि यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि त्रुटिपूर्ण विधिक परामर्श के कारण अपीलार्थियों द्वारा दिनांक 12.08.1996 के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध सिविल पुनरीक्षण संख्या 66/1997 प्रस्तुत की गई थी, जिसे तत्पश्चात इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2015 को पोषणीय न होने के आधार पर निरस्त कर दिया गया।

11- यह कि उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अपीलार्थियों को विलम्ब, लापरवाही अथवा निष्क्रियता का दोषी नहीं ठहराया जा सकता, अपितु अपील दायर करने में हुआ विलम्ब उपर्युक्त कारणों से हुआ है।

12- यह कि उपर्युक्त के आलोक में न्याय हित में यह अत्यंत समीचीन है कि वर्तमान अपील दायर करने में हुए विलम्ब को सीमांकन अधिनियम की धारा 5 सहपठित धारा 14 के लाभ का विस्तार करते हुए कृपया क्षम्य किया जाए तथा अपील को समयोचित रूप से दायर माना जाकर उसी का गुण-दोष के आधार पर विचार एवं निस्तारण किया जाए।”

5. इस मामले का तथ्यात्मक ढांचा यह है कि श्रीमती आशा सिंह नामक एक महिला ने उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश वन विभाग के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद संख्या 301/1983 दायर किया था, जिसे 24.09.1985 को खारिज कर दिया गया था। इसके पश्चात, एक अपील दायर की गई जिसे 18.05.1995 को एकपक्षीय रूप से स्वीकार कर लिया गया। तत्पश्चात, वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा आठ महीने के अंतराल के पश्चात 10.01.1996 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 21 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया गया। चूँकि वह समय-बाधित था, इसलिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया गया, जिसे आक्षेपित आदेश दिनांक 12.08.1996 द्वारा विलंब के आधार पर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात, इसे सिविल पुनरीक्षण संख्या 66/1997 के माध्यम से चुनौती दी गई, जो कि 2.5 वर्ष के विलंब के पश्चात 18.09.1997 को दायर की गई थी, तथा इस पुनरीक्षण को 15.07.2015 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह पोषणीय नहीं है, हालांकि इसे विधि के अनुसार चुनौती देने की स्वतंत्रता दी गई थी। दिनांक 14.09.2015 को एक संशोधन आवेदन पक्षकारों के नाम के संबंध में दायर किया गया जिसका निस्तारण 17.09.2015 को किया गया।

6. तत्पश्चात दिनांक 24.09.2015 को मुख्य वन संरक्षक को एक पत्र प्रेषित किया गया तथा उसी दिन मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रभागीय वन अधिकारी को अपील दायर करने हेतु निर्देशित किया गया। लगभग 20 दिन के उपरांत दिनांक 23.11.2015 को विधिक राय प्राप्त किए जाने का उल्लेख है, जिसके पश्चात प्रभागीय वन अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों सहित विषय को मुख्य वन संरक्षक को अग्रेषित किया। तत्पश्चात लगभग 18 दिन के विलम्ब के बाद मुख्य वन संरक्षक ने अपील दायर किए जाने हेतु उक्त प्रकरण राज्य को अग्रेषित किया और अंततः अपील दायर की गई।

7. तत्पश्चात अभिलेख एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक संचरित होता रहा और अंततः अपील दिनांक 25.05.2016 को दायर की गई।

8. विलम्ब के संबंध में कोई पर्याप्त कारण प्रदर्शित नहीं किया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य द्वारा मात्र बहाने बनाए गए हैं। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि आक्षेपित आदेश की तिथि से पुनरीक्षण दायर किए जाने की तिथि तक 2 वर्ष 4 माह का विलम्ब क्यों हुआ। यहां तक कि यदि पुनरीक्षण की लंबित अवधि का लाभ भी मान लिया जाए, जो कि दिनांक 15.07.2015 को निरस्त कर दिया गया था, तब भी वर्तमान अपील लगभग 10 माह के अंतराल के पश्चात दायर की गई। अपीलकर्ता द्वारा बताया गया कारण विशुद्ध रूप से नौकरशाही है और वे इस तरह के नौकरशाही विलंब का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता आगे यह तर्क देते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम चंद्र मणि एवं अन्य [(1996) 3 SCC 132] के मामले में यह निर्धारित किया है कि लालफीताशाही में शामिल गैर-व्यक्तिगत नौकरशाही ढांचे को ध्यान में रखते हुए, उचित सीमा के भीतर कुछ हद तक उदारता अनुमत है। राज्य को किसी व्यक्ति के समान स्तर पर नहीं रखा जाना चाहिए। अतः इस कारण से हुए विलंब को क्षमा किया जाए।
10. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
11. अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा विलंब को उचित ठहराने का प्रयास किया गया है। संतोषजनक स्पष्टीकरण देने के बजाय, विलंब क्षमा आवेदन में केवल बहानेबाजी की गई है।
12. आगे बढ़ने से पूर्व, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

“5. विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण-

कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 21 के उपबंधों में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक, न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था।

स्पष्टीकरण-यह तथ्य कि अपीलार्थी या आवेदक विहित काल का अभिनिश्चय या संगणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पद्धति या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त हेतुक हो सकेगा”

13. परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के सामान्य पठन से यह स्पष्ट होता है कि निर्धारित अवधि के पश्चात किसी अपील को तब स्वीकार किया जा सकता है, यदि अपीलकर्ता न्यायालय को संतुष्ट कर दे कि उसके पास ऐसी निर्धारित अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था। पर्याप्त कारण सिद्ध करने का भार उस अपीलकर्ता पर होता है जो विलंब क्षमा करने की मांग कर रहा है, और उसे यह भी सिद्ध करना होगा कि न्यायालय की शरण में न आने के कारण वास्तविक, सद्भावी एवं लापरवाही से मुक्त हैं।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **लंका वेंकटेश्वरलू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**, जो **MANU/SC/0153/2011** के वाद में यह प्रतिपादित किया कि केवल इस आधार पर कि विलम्ब क्षमा की मांग करने वाला पक्ष राज्य है, अपील दायर करने में हुए विलम्ब को क्षम्य नहीं ठहराया जा सकता। उक्त वाद में माननीय न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा विलम्ब को क्षम्य किए जाने की आलोचना की, यह कहते हुए कि वह विलम्ब किसी अपरिहार्य परिस्थिति के कारण नहीं, बल्कि संबंधित शासकीय अधिवक्ताओं की स्पष्ट अक्षमता एवं अयोग्यता के कारण हुआ था।

15. इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पोस्टमास्टर जनरल एवं अन्य बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड एवं अन्य [(2012) 3 SCC 563]** के मामले में यह निर्धारित किया है कि राज्य यह दावा नहीं कर सकता कि उनके लिए परिसीमा की कोई अलग अवधि है। किसी तर्कसंगत और स्वीकार्य स्पष्टीकरण के अभाव में, केवल इसलिए कि सरकार या उसका कोई निकाय न्यायालय के समक्ष एक पक्षकार है, यांत्रिक तरीके से विलंब को क्षमा नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि विभाग पिछले

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

निर्णयों का लाभ नहीं उठा सकता और आधुनिक तकनीक की उपलब्धता को देखते हुए, गैर-व्यक्तिगत तंत्र और विरासत में मिली नौकरशाही पद्धति या कई टिप्पणियाँ तैयार करने के आधार पर किए गए दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता। परिसीमा की विधि सरकार सहित सभी पर समान रूप से लागू होती है।

16. इसी तरह के विचार को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **महाराष्ट्र सरकार (जल संसाधन विभाग), प्रतिनिधि- अधिशासी अभियंता बनाम बोर्स ब्रदर्स इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड [(2021) 6 SCC 460]** के मामले में दोहराया गया था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पोस्टमास्टर जनरल (उपरोक्त)** पर विश्वास जताते हुए यह निर्धारित किया कि केवल इसलिए कि इसमें सरकार शामिल है, विलंब क्षमा के लिए कोई अलग मापदंड निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

17. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **ओडिशा राज्य एवं अन्य बनाम सुनंदा महाकुडा [(2021) 11 SCC 560]** के मामले में यह निर्धारित किया है कि विलंब क्षमा के मामलों में नौकरशाही की अक्षमताओं के कारण राज्य और उसके निकायों को पहले जो छूट प्राप्त थी, वह तकनीकी प्रगति और विधिशास्त्र में आए बदलाव जैसा कि **पोस्टमास्टर जनरल (उपरोक्त)** में स्पष्ट किया गया है, के आलोक में अब उपलब्ध नहीं है।

18. इसी प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सभा नारायण [(2022) 9 SCC 266]** के मामले में, एक बार फिर राज्य और उसके निकायों की उस प्रवृत्ति की निंदा की है, जिसके अंतर्गत वे इस धारणा पर कार्य करते हैं कि वे विधि द्वारा निर्धारित परिसीमा अवधि की अवहेलना करते हुए अपनी सुविधानुसार और स्वेच्छा से न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, मानो परिसीमा अधिनियम उन पर लागू ही नहीं होता है। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जन्मजात कार्यात्मक अक्षमताओं के कारण सरकार/सार्वजनिक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिकारियों को एक समय पर जो छूट दी जाती थी, वह अब विशेष रूप से पोस्टमास्टर जनरल (उपरोक्त) के निर्णय के आलोक में मानक नहीं रह गई है।

19. माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिवम्मा (मृतक) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड एवं अन्य, 2025 SCC ऑनलाइन SC 1969 के मामले में निम्नलिखित निर्धारित किया है:-

"210. उपरोक्त से जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वह यह है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विलंब की क्षमा से संबंधित विधिशास्त्र, विशेष रूप से जहाँ राज्य या उसका कोई निकाय शामिल है, एक महत्वपूर्ण बदलाव का साक्षी रहा है। उस व्यवस्था से, जो कभी राज्य की नौकरशाही जटिलताओं और संस्थागत जड़ता के आधार पर उसे अधिमान्य रियायत प्रदान करती थी, विधि अब सरकार और निजी वादियों के बीच समानता पर जोर देने के लिए विकसित हुई है। इसका तर्क यह है कि जनहित की बेहतर सेवा सरकारी अक्षमता को क्षमा करने से नहीं, बल्कि सार्वजनिक मुकदमों के संचालन में जवाबदेही, तत्परता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने से होती है।

* * *

230. सरकार के लिए विलंब की क्षमा को एक सामान्य प्रक्रिया बनने की अनुमति देना, अक्षमता को संस्थागत बनाने का हानिकारक प्रभाव डालेगा। यह वास्तव में निष्क्रियता को प्रोत्साहित करेगा और एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देगा जहाँ विलंब के लिए जवाबदेही समाप्त हो जाती है। यदि राज्य को यह आश्वासन मिल जाए कि उसकी चूकों को "जनहित" के नाम

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पर हमेशा क्षमा कर दिया जाएगा, तो उसके अधिकारियों के लिए तत्परता से कार्य करने या उसके निकायों के लिए समय पर कार्रवाई हेतु प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का बहुत कम प्रोत्साहन बचेगा। इसका परिणाम जनहित को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि उसके साथ विश्वासघात करना होगा।

232. इसलिए, इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि मार्गदर्शक सिद्धांत सरकारी उदासीनता का संरक्षण करना नहीं, बल्कि जिम्मेदार शासन को बढ़ावा देना है। राज्य पर समय पर कार्य करने का उच्चतर कर्तव्य है, क्योंकि वह जिस भी मामले में मुकदमेबाजी करता है, वह अपनी निजी क्षमता में नहीं, बल्कि जनता के हितों के न्यासी के रूप में करता है। अतः, नौकरशाही की अक्षमता के आधार पर विलंब को क्षमा करने में बार-बार दी जाने वाली रियायत परिसीमा अधिनियमों के मूल उद्देश्य को समाप्त करने के समान होगी, जो हर सभ्य न्यायक्षेत्र में अंतिमता, निश्चितता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए अधिनियमित किए जाते हैं।

* * *

249. एक बार जब राज्य मुकदमेबाजी का विकल्प चुनता है, तो उसे उन्हीं जिम्मेदारियों को उठाना एवं उन्हीं सीमाओं का पालन करना चाहिए जो प्रत्येक वादी को बाध्य करती हैं। राज्य को इस दिखावटी तर्क पर विलंब के परिणामों से बचने की अनुमति देना कि गलती व्यक्तिगत अधिकारियों की थी, परिसीमा अधिनियमों की कठोरता को कम करने और उनके मूल उद्देश्य को कमजोर करने के समान होगा। ऐसा दृष्टिकोण न केवल निजी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पक्षों की तुलना में राज्य को अन्यायपूर्ण तरीके से विशेषाधिकार प्रदान करेगा, बल्कि प्रशासन के भीतर उदासीनता और गैर-जिम्मेदारी की संस्कृति को भी शाश्वत बना देगा।

* * *

261. अतः, उपर्युक्त कारणों के आधार पर उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाना अपेक्षित है। इस निर्णय को समाप्त करने से पूर्व, हम यह स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता एवं लापरवाही को विलम्ब की क्षमायाचना हेतु कभी भी पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता। साथ ही, हम सभी उच्च न्यायालयों को यह स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि जब तक पर्याप्त कारण का समुचित मामला स्थापित न किया जाए, जिसमें राज्य तंत्र यह सिद्ध कर सके कि उसने सद्भावना के साथ तथा निरंतर सतर्कता बरतते हुए कार्य किया है, तब तक तुच्छ एवं सतही आधारों पर विलम्ब को क्षम्य नहीं किया जाना चाहिए। यह सर्वविदित है कि, प्रक्रिया न्याय की सहायक होती है। परंतु न्यायालयों, और विशेष रूप से संवैधानिक न्यायालयों को, मुकदमेबाजी करने वाली उस सरकारी संस्थाओं के लिए प्रक्रिया की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, जो अपने स्वयं के उदासीन रवैये के कारण मुकदमे को आगे बढ़ाने में परिसीमा की बाधाओं से समान रूप से प्रभावित होती है।

262. उच्च न्यायालयों को राज्य प्राधिकारियों या उनके निकायों के ऐसे संवेदनहीन रवैये को वैध प्रभाव नहीं देना चाहिए, और यदि विलंब की क्षमा मांगने वाला पक्षकार कोई राज्य-प्राधिकारी है, तो उन्हें अतिरिक्त रूप से

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सतर्क रहना चाहिए। उन्हें राज्य की ढिलाई और सुस्ती का विकल्प नहीं बनना चाहिए। संवैधानिक न्यायालयों को एक निजी वादी की उदासीनता और पीड़ा के प्रति संज्ञान लेना चाहिए। वादियों को निरंतर मुकदमेबाजी की स्थितियों में नहीं रखा जा सकता, जहाँ उनकी डिक्रियों या अनुकूल आदेशों के फल बाद के चरणों में विफल हो जाते हैं। हमें इस निरंतर बनी रहने वाली प्रवृत्ति को दोहराते हुए खेद हो रहा है, और हम सभी उच्च न्यायालयों को सूचित करते हैं कि वे अत्यधिक विलंब वाले मामलों को तब तक दोबारा न खोलें जब तक कि पर्याप्त कारण मौजूद न हो, क्योंकि ऐसा करके न्यायालय केवल जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करते हैं, विशेष रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत अपीलों में, जहाँ उनका अधिकार क्षेत्र पहले से ही विधि के प्रश्नों तक सीमित होता है।"

20. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णयों की श्रृंखला में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि राज्य या उसके निकायों के साथ किसी भी व्यक्ति के समान ही व्यवहार किया जाना चाहिए, और उनके लिए परिसीमा की विधि भिन्न नहीं हो सकती।

21. अपीलकर्ताओं ने विलंब को उचित ठहराने का प्रयास किया है, परंतु शपथ पत्र में दिए गए कारण "पर्याप्त कारण" के बजाय एक बहाने की तरह अधिक प्रतीत होते हैं, जिसने उन्हें समय सीमा के भीतर अपील दायर करने से रोके रखा।

22. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, यह न्यायालय पाता है कि विलम्ब को उचित ठहराने हेतु अत्यंत कमजोर प्रयास किया गया है; शपथपत्र में वर्णित विलम्ब किसी भी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रकार से पर्याप्त कारण प्रदर्शित नहीं करता है। अतः वर्तमान विलम्ब क्षमायाचना आवेदन को **निरस्त** किया जाता है।

23. परिणामस्वरूप, अपील को भी विलंब और शिथिलता के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

24. राज्य उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है जो इस तरह के विलंब के लिए उत्तरदायी हैं।

(न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार)

मार्च 18, 2026

सौरभ यादव/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।